

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बादसी गौलोकधाम खाण्ड मोटर मार्ग से कटखन मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

कनिष्ठ अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिंचाइखण्ड, उत्तरकाशी

सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिंचाइखण्ड, उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिंचाइखण्ड, उत्तरकाशी



वन का विधिकारी
धरासू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

उन्हें प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी